

	(4) ग्राम परिषद ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिसे वह आवश्यक समझता है, नियुक्त कर सकता है; बशर्ते कि सिवाय प्रशासक की पूर्व मंजूरी के कोई भी पद सृजित न किया गया हो । (5) सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें इस प्रकार होगी, जैसे निर्धारित की गई है ।	
	24. (1) ग्राम परिषद के बैठकों का समय और स्थान और उसके पश्चात उस बैठक की कार्यवाही इस प्रकार होगी, जैसा निर्धारित है । (2) ग्राम परिषद का कोई सदस्य किसी भी बैठक में संकल्प पारित कर सकता है और ग्राम परिषद के प्रशासन से संबंधित मामले में फर्स्ट कैप्टन और सैंकेंड कैप्टन के समक्ष उस प्रकार से प्रश्न रख सकता है, जैसा निर्धारित है । (3) ग्राम परिषद के कुल सदस्यों का दो तिहाई के समर्थन द्वारा पारित किसी संकल्प को छोड़कर ग्राम परिषद के किसी संकल्प को ग्राम परिषद द्वारा इसके पारित किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर परिवर्तित, संशोधित, भिन्न अथवा रद्द नहीं किया जाएगा ।	ग्राम परिषद की बैठक
	25. (1) बशर्ते कि ऐसे नियंत्रण और प्रतिबन्धन जैसे भी निर्धारित किया जाए इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ग्राम परिषद समितियों की नियुक्ति कर सकता है और उल्लेख किए गए अनुसार इसके ऐसे कर्तव्यों और इसके कार्यों का निर्वहन करेगा । 2. समिति में पाँच से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे और निर्धारित किए गए कारणों और तरीके से समिति को समाप्त (विघटन) अथवा पुनर्गठित किया जा सकता है ।	समिति
	26. ग्राम परिषद का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के पाए जाने अथवा ग्राम परिषद के गठन में कोई त्रुटि होने अथवा इसकी कार्यवाही में किसी प्रकार की कमी के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा ।	रिक्तियों के विद्यमान होने के कारण कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं किया जाएगा ।
	अध्याय – IV ग्राम परिषद की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य	
	27. (1) ग्राम परिषद की निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक ग्राम परिषद का यह कर्तव्य है कि द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मामलों के सम्बन्ध में इसके क्षेत्राधिकार के भीतर उचित प्रावधान रखें ।	ग्राम परिषद के कर्तव्य और कार्य